



**बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या- **FG/282**

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक,
पावर ग्रिड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गया।

पटना-14, दिनांक- **15/12/2017**

विषय : गया एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत 400 KV D/C नवीनगर-गया पारिषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.7158 हे० वन भूमि का " मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गया के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक FC-1086 दिनांक 18.10.2017 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

प्रसंगिक पत्र द्वारा विषयांकित परियोजना निर्माण के प्रस्ताव पर 1.7158 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है-

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 1.7158 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 10,74,091/- (रुपये दस लाख चौहत्तरह हजार इकानवें) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण एवं विभाग को उपलब्ध कराएगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्त संख्या-3 के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 18,79,203/- (रुपये अठ्ठारह लाख उनासी हजार दो सौ तीन) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त हुआ है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
3. उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 29,53,294/- (रुपये उनतीस लाख तिरपन हजार दो सौ चौरानवें) मात्र को e-challan के माध्यम से Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in A/C Name CAF Bihar (A/C No. SB01025201, Corporation Bank CGO, Complex, Phase-1, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 IFSC No. CORP0000371) में RTGS/NEFT द्वारा फंड ट्रांसफर कर जमा कराया जायेगा।
4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्त संख्या-7 के आलोक में औषधी पौधों (बौनी प्रजाती) के रोपण हेतु रु० 1,26,60,144/- (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार एक सौ चौवालीस) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं गया से प्राप्त हुआ है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

6. उपर्युक्त कुल राशि रु० 1,26,60,144/- (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार एक सौ चौवालीस) मात्र मात्र को Union Bank of India, RajaBazar, Patna IFSC Code UBIN0545325, BIHAR CAMPA FUND (OTHER SOURCES) A/C No. SB 453202010057398 में RTGS/NEFT Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर जमा कराया जाय एवं जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त UTR No. एवं दिनांक की मूलप्रति के साथ दी जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 19 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने कि कृपा की जाय ताकि विषयाधीन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- (F.C) ...12.8.2 दिनांक ...15/12/2017

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल औरंगाबाद/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।